

13-6-16

पत्रावली आज लोक अदालत केंद्र
 के कार्या में भेजा हुआ, पत्रावली का अकालोचन
 किया, कानूनमैत्रीयता का निर्धारण है
 कि आप बुजुर्गों को 5000 रुपये प्रति
 महीने के लिये 510 रुपये 7.40 रुपये की दर से
 लोन नं 193 भी है, हेराल्डेट के पूर्व उक्त
 श्रद्धि की विलय कारानी दर्ज की किन्तु
 हेराल्डेट के दौरान गलत लिख उक्त श्रद्धि
 की विलय ~~अंश~~ नदी दर्ज कर दी गई,
 निम्न श्रद्धि पर उचित राशि बनाने का
 आज योजनारतों से लाने के बाद ही
 वसति है इलाकिया श्रद्धि विलय नदी एज्यु
 कर कारानी दर्ज की जाये बाद में
 लक्ष्मी के कारनीयों व गवारे के
 शपथ पत्र के साथ विलय व लक्ष्मीय पत्र
 दांतरामगढ़ के अपने पत्र उमारे 575)
 दिनांक 14.9.2015 के रिपोर्ट रिपोर्ट की
 कि वर्तमान विलय लक्ष्मी के नदी दर्ज
 हो गई हेराल्डेट के पूर्व उक्त श्रद्धि की
 विलय कारानी दर्ज थी। निम्न लोड पत्र व
 पुरानी जपतकनी से प्रतीति भी हल हो
 प्राप्त की है पत्रावली पर उपानबद्ध
 रेकार्ड का अकालोचन किया। वर्तमान

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज

नम्बर व त
जो इ
तारीख

क्र. नं० 510 ख.क 7.40 ई. की सिस्म नदी
द्वारा है जकारि पुराने क्र. नं० 193 की सिस्म
कारानी ^{पञ्च} है, बाकी लोगों के शापकपत्रों
रेकार्ड व लहरीजदल रिपोर्ट के अनुसार
होने पर राज लुजानल के वर्तमान
क्र. नं० 510 ख.क 7.40 ई. सिस्म
नदी के स्थान पर अति ~~की~~ की सिस्म
कारानी ^{पञ्च} करी करने ~~के~~ के
अदेश दिखे जाते हैं, लहरीजदल
द्वारा मगद के फालक हेतु लहरीज
जारी है। पत्रवली फैलल शुद्ध
होकर नम्बर है यह है।

उपखण्ड अधिकारी
दांतासमगढ़